

कार्यालय

नगर परिषद शमशाबाद
जिला विदिशा म.प्र.

:-सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005-:

प्राक्कथन

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। यह तभी संभव है, जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिक इकाइयों के क्रिया कलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुड़ी हैं, या जो जनहित में आवश्यक हो।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्रमांक 3 सन 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है।

नगर परिषद शमशाबाद जिला विदिशा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गठित एक निगमित निकाय है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक "लोक प्राधिकारी" है। नगर पालिका परिषद के कार्य व कर्तव्य नागरिकों से सीधे जुड़े हुए हैं। अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिये निर्धारित की जाने नीति, स्वीकृत योजनाएं व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई है।

इस हस्तपुस्तिका में अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी या किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

अध्याय—एक
संगठक की विशिष्टिया, कृत्य एवं कर्त्तव्य

नगर परिषद शमशाबाद जिला विदिशा की स्थापना वर्ष 2009 में की गई। वर्तमान में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसे अंतर्गत बनाये गये नियमों से वह अपने कर्त्तव्यों को सम्पादित कर रही हैं।

परिषद के मुख्य कर्त्तव्य व कार्यों का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट हैं। जो निम्नानुसार हैं:—

- (क) सार्वजनिक पथो, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना,
- (ख) सार्वजनिक पथो, स्थानों तथा मल-नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों और जो सार्वजनिक उपभोग के लिये खुले हों, भले ही ऐसे स्थान परिषद में निहित हों या न हों, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्युसेस का उपामन करना,
- (ग) विष्ठा तथा कूडा करकट का व्ययन करना और विष्ठा तथा कूडा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना,
- (घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना,
- (ङ.) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियम या उपामन करना,
- (च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हो, और जो सर्वसाधारण के उपभोग के लिए खुले हो, भले ही ऐसे स्थल परिषद में निहित हो या राज्य सरकार में निहित हो, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना,
- (छ) मृतको की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करना,
- (ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात-स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस सम्बंध में निदेश देने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाए,
- (झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना,
- (ञ) सार्वजनिक पथो, पुलियो, नगर पालिका के सीमा-चिन्हां, मण्डिया, हाटो, वधालाओं, शौचालयों, संडासों, मुत्रालयों, नालियों, मल-नालियों, जल निकास-संकर्मों, मलनाली से संबंधित संकर्मों, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानो, पीने के पानी के नलो, तालाबों, कुओं, बांधो तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना,
- (ट) काजी हाउसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जहां पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का सं. 1) प्रवर्तन में हो वहां उस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना,

- (ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय को जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना,
- (ड) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्याकित करना,
- (ढ) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना,
- (ण) सार्वजनिक, टीके लगाना,
- (त) किन्हीं भी ऐसे बछड़ो, गायों या भैसों के लिए, जो पशु टीके(लिम्फ) के प्रदाय के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना,
- (थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किए जाएं, कृषि उपयोगी पशुओं की गणना,
- (द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों के पैदा होने या फेलने या उनकी पुरनावृत्ति होने से रोकने के लिये अपेक्षित हों,
- (ध) नगर पालिका के प्रशासन पर ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिए परिषद से अपेक्षा करें,
- (न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में, जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिश्चित करते हों,
- (प) परिषद के सफाई कर्मचारीवृन्द के लिए आवास गृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना,

इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा 124 के खण्ड (क) से (फ) में उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती हैं।


धारा 124(क) से (फ)

- (क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व में निर्माण हुआ हो या नहीं— नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसे मार्गों से संस्पर्शी भवन के लिए भू-खण्ड सम्मिलित होंगे,
- (ख) सार्वजनिक पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्म शालाओं, विश्रामगृहों, तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना,
- (ग) शैक्षणिक उद्देश्यों को अग्रसर करना,
- (घ) सड़क के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ङ) सार्वजनिक पथों तथा स्थानों पर जल छिड़कना,
- (च) चौराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना,
- (छ) स्थानीय प्रयोजनों के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु, जिससे जन्म-मृत्यु संबंधी आंकड़ों का ठीक-ठाक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरस्कार देना,
- (ज) सर्वेक्षण करना,
- (झ) किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाए रखने के लिए आनुषंगिक वेतन तथा भत्ते, भाड़े तथा अन्य खर्च या ऐसे किन्हीं भी खर्चों के किसी भाग का संदाय करना,
- (ञ) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाश या निरोध करना, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन विनाश किया जा सकता हो या जिन्हें निरोध में रखा जा सकता हो,
- (ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा घृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना,
- (ठ) प्राइवेट परिसरों पर या उनके उपयोग के लिए उनका मलमूत्र परिषद् के नियंत्रणाधीन मल-नाली में इकट्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिए पात्रों, फिटिंगों, नलों तथा अन्य प्रकार के साधनों का, चाहे जो भी हो, प्रदाय, निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ड) मलमूत्र के व्ययन के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना,
- (ढ) नगर पालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रितों के लिए किये जाने वाले कल्याण कार्यों की अभिवृद्धि करना,

- (ण) सफाई कर्मचारीवृन्द से भिन्न परिषद के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना,
- (त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वच्छ निवासगृह का निर्माण करना,
- (थ) पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के, जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हो या सामाजिक, कार्य में लगी हो या पूर्ण प्रकृति संस्थाओं के निर्माण, उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदाय करना,
- (द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा अनुरक्षण करना और डेरी फार्मों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन सांड रखना तथा उनका भरण-पोषण करना,
- (ध) नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय, वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मों की स्थापना,
- (न) विशेषतः गर्भिणी तथा स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, तथा अशक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहित दुग्ध, संघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमीरहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निः शुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना,
- (प) वासगृहों तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना,
- (फ) भोजन गृह, जैसे जलपान गृह, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, उपहार-गृह, कैफे स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हें चलाना जहाँ खाद्य पेय पदार्थ दिए जाते हों,
- (ब) शेडो, छपरों(बूथ्स) तथा अन्य सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्नान-ग्रहों या तैरने के तालाबों की व्यवस्था करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (भ) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम का जिम्मा लेना,
- (म) ऐसी सड़को तथा ऐसे भवनों का और सिंचन संकर्मों से भिन्न ऐसे अन्य सरकारी संकर्मों का, जिन्हें राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिषद को अंतरित करे, निर्माण करना तथा अनुरक्षण करना,
- (य) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में ऐसे पागलों तथा कुष्ठरोगियों के, जो नगर पालिका क्षेत्र में रहते हो या नगर पालिका क्षेत्र से हटाये गए हों, भरणपोषण की तथा उपचार की व्यवस्था करना,
- (क) पागलों, कुष्ठ रोगियों तथा उन व्यक्तियों को जिनका अलर्कविरोधी(एण्टीरेबिक) उपचार होना आवश्यक हो, उनके उपचार के लिए स्थापित पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में, चाहे वह नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हों या बाहर, भिजवाने की व्यवस्था करना,
- (ख) मेले तथा प्रद नीयुक्त मेले लगाना,

- (ग) निराश्रीत, अंधो, लंगडो, लूलो, निःशक्त व्यक्तियो तथा वृद्धो के लिये आश्रयो की स्थापना करना।
- (घ) पशु औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ङ) नगर पालिका के भीतर ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्वागत समारोह उत्सव,, मनोरंजन या प्रदर्शनी का आयोजन करना, जिसमें उस रकम से अधिक रकम खर्च न हो जो नियमो द्वारा इस विहित की गई हो,
परन्तु यह जबकि, परिषद द्वारा उस निमित्त साधारण सम्मिलन में एक संकल्प पारित कर दिया जाए—
- (च) अन्यथा उपबंधित न किया गया कोई भी ऐसा विषय जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा जनता की सुविधा का उन्नयन सम्भव हों,
- (छ) चिकित्सालयों, तथा औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ज) दरिद्रालयों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, और
- (झ) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी हैं,
- (ञ) भूमि अपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण,
- (ट) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना,
- (ठ) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि,
- (ड) समाज के दुर्बल वर्गों में जिनके अंतर्गत विकलांग और मंद व्यक्ति भी हैं हितों की रक्षा,
- (ढ) नगरीय निर्धनता उन्मूलन,
- (ण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई भी अन्य कार्य करना।

लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढांचा संलग्न प्रपत्र – 'क' में दर्शाया गया है। विभिन्न विभागों के कार्यो व कर्त्तव्यों का विवरण प्रपत्र 'ख' में तथा पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्यों को प्रपत्र 'ग' में दर्शाया गया है।



(ख)

नगर पालिका के प्रत्येक विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्य

| अ.क्र. | विभाग | कार्य |
|--------|-----------------------|--|
| 1. | सामान्य प्रशासन विभाग | <p>लोक प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारु व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह विभाग उत्तरदायी है। उसके प्रमुख कार्य एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं:-</p> <p>प्रशासन:-</p> <ol style="list-style-type: none"> कार्यालय की समुचित व्यवस्था। अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश कार्य विभाजन। कार्यालयीन पत्र-व्यवहार का संधारण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण। रिकार्ड— पत्रों का आवक-जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण। परिषद, प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल परामर्शदात्री समितियों के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृत्तो का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के क्रियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित। कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण। वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन। |
| | लेखा— | <ol style="list-style-type: none"> निकाय के करों, शुल्को अनुज्ञा शुल्को व अन्य मदों में कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई हैं, की जाँच कर प्राप्त कर निर्धारित रोकड पुस्तक में अंकित करना व कोषालय या बैंक में जमा करना। निकाय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतान की जाँच करना व सुनिश्चित करना कि सम्पादित कार्य/क्रय या व्यवहार की सक्षम स्वीकृति है। बजट प्रावधान है, स्टॉक रजिस्टर या लेजर |

| | | |
|----|--------------|--|
| | | <p>बुक में प्रविष्टी हैं, व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान करना व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना।</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. मासिक, त्रैमासिक वार्षिक लेखाओं को तैयार करना व विनिर्दिष्ट अधिकारियों को भेजना। 4. वार्षिक आय-व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना। 5. समस्त प्रतिभूतियों, अमानतो, अग्रिमों के लेखों का संधारण। 6. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों को लेखाओं का संधारण। 7. जनसहयोग या स्वेच्छक अभिदाता द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा निर्धारण प्रारूप रजिस्टर में रखना। 8. प्राधिकरण के सम्पूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण। 9. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निराकण। |
| 2. | राजस्व विभाग | <p>प्राधिकरण के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कर्त्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्को, एवं अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्केट्स, स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीजरेट तथा भूमि किराया-प्रिमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संधारण एवं वसूली करना हैं, इन कर्त्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सम्पत्ति कर, सफाई कर, जलकर, प्रकाश कर, शिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती हैं, उनकी कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना। 2. निकाय द्वारा आरोपित सम्मस्त करों व शुल्कों की शीघ्र वसूली करना। 3. करों शुल्कों व अन्य देयक राशियों की |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| | | <p>वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप में आव यक संख्या में रसीद बुको की व्यवस्था उसके संचय व समाप्त होने पर वापस जमा करना, सुनिश्चित करना।</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. राजस्व विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई राशि का यथा समय नगर पालिका कोष में जॉच उपरांत जमा करना व उसका पर्यवेक्षण करना। 5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदों का मुल रसीदों से कम से कम 10 प्रतिशत रसीदों को मिलान व सत्यापन करना। 6. नगर पालिका मार्केट, दूकाने, भूमि व अन्य संपत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डर्स आदि की कार्यवाही। अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुरूप करना, व संबंधित अनुबंधों का निष्पादन सुनिश्चित करना। 7. बकाया करों व शुल्कों व किराये की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानुसार बिल मांग सूचनापत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामीली सुनिश्चित करना। 8. कांजी हाउस की व्यवस्था व वसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण। 9. विहित प्रारूपों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या निर्धारित सामयिक पत्रको में करो आदि की वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना। |
| 3. | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग | <p>लोक प्राधिकरण के इस विभाग का दायित्व नागरिकों को चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बिमारियों की रोक थाम, नगर की सफाई कचरा व ठोस अपशिष्टों का निपटान, ड्रेनेज व नालियों की सफाई आदि की व्यवस्था करना है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु वह निम्न कार्यों को सम्पन्न करना है—</p> |

| | | | |
|----|-------------------|--|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. जन-स्वास्थ्य के लिये वेक्सीनेशन की व्यवस्था। 2. महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाइयों का वितरण व चिकित्सीय व्यवस्था। 3. पशुवध ग्रह, होटलों आदि का निरीक्षण। 4. खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों की जाँच। 5. नगरीय क्षेत्र की सड़को, नालो व नालियों की सफाई। 6. सार्वजनिक शौचालयों, मुत्रालयों (सुलभ शौचालयों) का निर्माण। 7. शुष्क शौचालयों को शौचालय में परिवर्तन। 8. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानो का निर्माण, रखरखाव व वृक्षारोपण। 9. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे, रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण। |
| 4. | लोक निर्माण विभाग | | <p>अधिकरण के इस विभाग के निम्न कार्य व कर्त्तव्य हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों का संपादन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण। 2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वीकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना। 3. जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनो, सार्वजनिक सड़को, फुटपाथो व खुली भूमियों से अतिक्रमण हटाने 4. बिना अनुमति एवं अनुमति के विरुद्ध निर्माण कार्यों को हटाना व उनके विरुद्ध विधानांतर्गत कार्यवाही करना। |
| 5. | जलकार्य विभाग | | <p>प्राधिकरण का जल कार्य विभाग निम्न कर्त्तव्य व कार्यों को सम्पन्न करना है—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जल प्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था— इन्टेकवेल—फिल्टर प्लांट, स्टोरेज, सप्लाय |

| | | | |
|----|-----------------|--|---|
| | | | <p>का संधारण एवं पर्यवेक्षण।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. मुख्य व वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन, परिवर्तन। 3. पब्लिक स्टेण्ड का संधारण। 4. जलकष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टैंकर्स व अन्य साधनों से सुलभ कराना। 5. व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण। 6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्रोतो, तालाबो, कुओं आदि का संधारण। |
| 6. | कर्मशाला विभाग | | <p>इस विभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनों, मशीनो व पम्पो आदि के संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना है, साथ ही वाहनों के लिये चालक परिचालक, क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थित, अवकाश आदि का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता है।</p> |
| 7. | अग्निशामक विभाग | | <p>कार्य एवं कर्त्तव्य</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अग्नि शामक वाहनों का संधारण। 2. आग की स्थिति अग्निशामक की त्वरित व्यवस्था। 3. आपात स्थिति में प्रशासन व नागरिकों की सहायता। |
| 8. | शिक्षा विभाग | | <p>शिक्षा विभाग के कार्य</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बाल मंदिरो की स्थापना व संचालन। 2. झूलाघरों की स्थापना व संचालन। 3. म.प्र. नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा शर्तों) नियम 2005 के प्राधानुसार शिक्षको की नियुक्ति। |

अध्याय-दो
प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियों

क्र.

प्रपत्र-ग

| क्र. | नाम पदाधिकारी | शक्तियाँ | कर्त्तव्य |
|------|-----------------------|--|--|
| 1. | नगर परिषद | 1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ। | 1. अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य। |
| | | 2. आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना। | 2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति। |
| | | 3. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति। | 3. परामर्श दायी समिति का निर्वाचन। |
| | | 4. करारोपण एवं शुल्कों की स्वीकृति | 4. धारा 109 के प्रावधानान्तर्गत नगर पालिका संपत्ति का अंतरण। |
| | | 5. सम्पत्ति कर हेतु वार्षिक भाडा मूल्य का निर्धारण | 5. अधिनियम के प्रयोजनों हेतु ऋण लेने की शक्ति। |
| | | 6. प्रायवेट पथ को सार्वजनिक पथ घोषित करने की शक्ति | 6. वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति। |
| | | 7. सार्वजनिक पथों को नियमित लाईन का निर्धारण | 7. ग. नगर पंचायत की दशा में 5 लाख से 50 लाख तक के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति। |
| | | 8. मण्डी (मार्केट) की स्थापना | 8. |
| | | 9. आदर्श दुग्ध उद्योग की स्थापना | 9. |
| | | 10. धारा 307 के अंतर्गत अपील सुनने | 10. |
| | | 11. परिषद की ओर से विधिक कार्यवाही | 11. |
| | | 12. परिषद की ओर से अभियोजन की स्वीकृति | 12. |
| | | 13. अधिनियमों से प्रयोजनों हेतु उपविधियों का निर्माण | |
| 2. | प्रेसीडेंट इन काउंसिल | 1. धारा 94 (1)(2)(6) के अंतर्गत कर्मचारियों की | 1. 94 (1), (2) व (6) के अंतर्गत आनेवाले पदों पर |

| | | नियुक्ति एवं दण्ड | | नियुक्ति / पदोन्नति । |
|----|--------------------------|---|----|---|
| | | 2. 500/- से अनाधिक वार्षिक भाड़ा मूल्य एवं प्रिमियम को स्था/संपत्ति को भाडे पर की स्वीकृति | 2. | धारा 109 व संबंधित नियमों अंतर्गत स्थाना/संपत्ति का अंतरण । |
| | | 3. वित्तीय शक्तियाँ ग. नगर पंचायत की द 11 में रु. 25 हजार से अधिक 5 लाख तक । | 3. | वित्तीय अधिकार की सीमा तक निर्माण कार्यो/खरीदी की स्वीकृति । |
| | | 4. अधिनियम की धारा 93(1) 94(1)(2), 121(1), 126, 160, 168(7), 228, 235, 237, 238, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253(1)(3), 255(1), 261, 262(1)(3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, 281 वे अंतर्गत प्राप्त शक्तियाँ । | 4. | कालम 2 के खण्ड (4) में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही । |
| 3. | अध्यक्ष | 1. परिषद की बैठक की अध्यक्षता व संचालन एवं विनियम, | 1. | परिषद के निर्णयों का निष्पादन व संचालन । |
| | | 2. अधिनियम की धारा 183(5), 184, 186, 190, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 218, 219, 268 एवं 283 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ । | 2. | परिषद की 184,185 वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी । |
| | | 3. आपात काल में परिषद की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में कार्यो के निष्पादन व व्यय की स्वीकृति । | 3. | कार्यपालक प्रशासन, परिषद के लेखाओं, अभिलेखों से संबंधित कार्यो व कार्यवाहीयो का पर्यवेक्षण व नियंत्रण । |
| 4. | मुख्य नगर पालिका अधिकारी | 1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति व दण्ड | 1. | नगर पालिका समस्त कार्यपालिक एवं वित्तीय प्रशासन पर निगरानी । |
| | | 2. सफाई कर व अन्य करों की कर निर्धारण सूची तैयार करना | 2. | नगर पालिका की ओर से पत्राचार । |
| | | 3. कर निर्धारण आपत्तियों का | 3. | परिषद द्वारा लिये गये |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | निराकरण | निर्णयों का अधिनियम व उसके अंतर्गत वन नियमों अनुसार पालन। |
| | | 4. करों व भाडे की वसूली हेतु वित्तीय बिल, मांग सूचना पत्र, वारंट जारी करने की शक्ति | 4. अधिनियम की धारा 180 (1)(2), 185, 187-ए, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200(2) 204, 208, 213, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 242, 246, 250, 251, 252 एवं 285। |
| | | 5. वित्तीय शक्तियाँ ग. नगर पंचायत की दशा में रु.25,000 तक के कोई खरीदी की स्वीकृति। | |
| | | 6. अन्य शक्तियाँ जो परिषद/प्रेसिडेन्ट इन काउंसिलि द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित की जावें। | |
| | | 7. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति। | |

अध्याय-तीन

विनि चय/निर्णय किए जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यम/सरणी

1. परिषद:-

प्रेषककर्त्ता-मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रेसिडेंट इन काउंसिल के अनुमोदन से।

निर्णयकर्त्ता-परिषद

अपील/परीक्षण- शासन

2. प्रेसिडेंट इन काउंसिल-

प्रेषककर्त्ता-मुख्य नगर पालिका अधिकारी

निर्णयकर्त्ता-प्रेसिडेंट इन काउंसिल

अपील/पुनरीक्षण-परिषद/संचालक

| विभाग | प्रकरण प्रारंभकर्ता कर्मचारी | डिलींग कर्मचारी | अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होते हैं | निर्णयकर्ता अधिकारी | निगरानी पर्यवेक्षण अधिकारी | प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. परिषद | संबंधित कर्मचारी | संबंधित लिपिक | सी.एम.ओ. /अध्यक्ष, एवं प्रेसिडेंट इन काउंसिल | परिषद / भासान | शासन | मु.न.पा. अधि. |
| 2. प्रेसिडेंट इन काउंसिल | संबंधित कर्मचारी | संबंधित लिपिक | सी.एम.ओ. | प्रेसिडेंट इन काउंसिल एवं परिषद | परिषद संचालक | मु.न.पा. अधि. |

अध्याय—चार

प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड/ प्रतिमान क. अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्न मानदण्ड एवं समय सीमा निर्धारित की गई—

| कार्य/गतिविधि /योजना का नाम | प्रभारी/विहित अधिकारी | निपटारे की समय सीमा | निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उस अधिकारी का नाम | शिकायत के निराकरण की समय सीमा |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|

भवन निर्माण अनुज्ञा एवं कालोनाईजर—

| | | | | |
|---|--------------|---------|---------------|-------|
| भवन निर्माण मानचित्र की अनुज्ञा का प्रदान करना | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |
| अनुज्ञा की समयावधि में वृद्धि | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |
| अनुज्ञा का नवीनीकरण करना | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |
| भवन पूर्णता प्रमाण पत्र तथा उपयोग में लाने का अनुज्ञा प्रदान करना | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |
| अवैध निर्माण संबंधि शिकायत तक का निराकरण | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |
| अविवादित नामांतरण | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------|
| विवादित | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |
| जाति प्रमाण पत्र स्थाई | रा.उ.नि. | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30 दिन |
| मुल निवासी प्रमाण पत्र | रा.उ.नि. | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30 दिन |
| राशन कार्ड से संबंधित | रा.उ.नि. | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30 दिन |
| आवेदन पत्र का निराकरा करना | | | | |
| खाद्य लायसेंस नवीनीकरण व जारी करना | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |
| राष्ट्रीय परिवार सहायता यो. | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |
| राष्ट्रीय परिवार सहायता यो. | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |
| राष्ट्रीय वृद्धापेंशन/सा.सु.पे. | सहा.ग्रेड.02 | 30 दिवस | मु.न.पा. अधि. | 30दिन |
| जी.पी.एफ. अग्रिम आहरण | लेखापाल | 180 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 30 दिन |
| जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना | स्व.पर्य. | 07 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 30 दिन |

मार्गों का रख रखाव संबंधी चार्टर—

| | | | | |
|---|------|-----------------------------------|--------------|--------|
| मार्गों पर गड्डो का भरना | न.प. | 7 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 7 दिन |
| मार्ग के खराब पेंच/भाग की मरम्मत | न.प. | 15 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 15 दिन |
| सार्वजनिक मार्ग से अवरोध हटाना | न.प. | 3 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 7 दिन |
| टुटे/मेनहोल को लगाना बदलना | न.प. | 3 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 7 दिन |
| सार्वजनिक स्थल से भूमि/ भवन स्वामी द्वारा मलवा हटाना | न.प. | 48 घंटे में नोटिस जारी करना | मु.न.पा.अधि. | 7 दिन |
| अतिक्रमण मुहिम अवैध निर्माण की शिकायत पर कार्यवाही | न.प. | 7 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 7 दिन |

| | | | | |
|---|------|---------------------------------|--------------|--------|
| पक्के अवैध निर्माणों को हटाना | न.प. | अतिक्रमण हटाओं मुहिम के अंतर्गत | मु.न.पा.अधि. | 7 दिन |
| जल प्रदाय संबंधी | | | | |
| नल कनेक्शन | न.प. | 15 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 15 दिन |
| अ. औद्योगिक प्रयोजन हेतु | | | | |
| ब. व्यावसायिक प्रयोजन हेतु | | | | |
| स. घरेलू प्रयोजन हेतु | | | | |
| आवेदन फार्म की प्राप्ति क्षेत्रिय वार्ड | न.प. | 11 से 4बजे | मु.न.पा.अधि. | 15 दिन |
| आवेदन फार्म जमा किया जाना | न.प. | 7 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 15 दिन |
| आवेदन की पावती | न.प. | उसी समय | मु.न.पा.अधि. | 3 दिन |
| कनेक्शन की स्वीकृति आदेश | न.प. | 3 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 7 दिन |
| मार्ग काटने की स्वीकृति | न.प. | 15 दिवस | मु.न.पा.अधि. | 7 दिन |

अध्याय—चार (ख)

प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमान
सीटीजन चार्टर

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| 1. करों की वसूली के लिए | समस्त कर | वित्तीय वर्ष की शत प्रतिशत |
| 2. योजना कार्यों के लिए | मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना, सड़क निर्माण सामुदायिक भवन शौचालय, मुन्नालय, | अंकित समय सीमा |
| 3. बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य | सांस्कृतिक भवन निर्माण, पेयजल पाईप लाईन विस्तार, आईएचएसडीपी | वित्तीय स्थिति अनुसार |

अध्याय पाँच

नगर परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गई नियमों, विनियमों, अनुदेशों मेन्युअल्स और अभिलेख

अधिनियम

1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961,
2. अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम,
3. म.प्र. मूलभूत नियम,
4. म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1971
5. म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966
6. म.प्र. सिविल भविष्य निधि नियम 1955
7. म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965
8. म.प्र. भूमि विकास नियम
9. कांजी हाउस एक्ट
10. नगर पालिकाद्वारा बनाई गई उपविधियां।
11. परिपत्र—
 1. म.प्र. सामान्य प्रशासन पुस्तक परिपत्र
 2. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश

अध्ययाय छः

लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

| क्रमांक | दस्तावेज का नाम | दस्तावेज का स्वरूप | समाहित जानकारी | दस्तावेज की समय सीमा |
|---------|--|--------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | कार्यवृत्त पुस्तिका | रजिस्टर | बैठक कार्यवृत्त | नष्ट की जाती हैं |
| 2 | (क) परिषद (ख)स्थायी समिति / प्रेसीडेंट इन कौंसिल | रजिस्टर | ---"--- | ---"--- |
| 3 | वार्षिक प्रतिवेदन | पंजी | प्रतिवेदन | |
| 4 | स्टाक तथा भंडार पंजिया | पंजी | क्रय की गई सामग्री का विवरण | |
| 5 | अचल संपत्ति की पंजी | रजिस्टर | न.पा. की अचल संपत्ति | |
| 6 | भविष्य निधि अभिलेख | रजिस्टर | कर्मचारियों के भविष्य निधि की जानकारी | |
| 7 | जन्म मृत्यु तथा विवाहों की पंजी | रजिस्टर | जन्म मृत्यु / विवाह संबंधी जानकारी | |
| 8 | वेतन बिल | वेतन पत्रक | कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी | 32 वर्ष |
| 9 | रोकडिया रोकड़ | रोकडिया रोकड़ | जमा राशि की जानकारी | 25 वर्ष |
| 10 | छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति | रजिस्टर | कर्मचारी की छुट्टी / प्रतिनियुक्ति | ---"--- |
| 11 | स्थायी अग्रिम लेख | रजिस्टर | अग्रिम की जानकारी | ---"--- |
| 12 | नगर पालिका रोड | रजिस्टर | आय-व्यय की जानकारी | ---"--- |
| 13 | प्राप्तियों की नगद संक्षेप पंजी | लेजर रजिस्टर | आय की जानकारी | ---"--- |
| 14 | व्यय की संक्षेप पंजी | व्यय की लेजर | व्यय की जानकारी | ---"--- |
| 15 | स्थापना पंजी | रजिस्टर | स्थायी स्थापना की जानकारी | ---"--- |

| | | | | |
|----|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 16 | अवकाश पंजी | रजिस्टर | अवकाश संबंधी जानकारी | ---"--- |
| 17 | समायोजन पंजी | रजिस्टर | समायोजन की जानकारी | 12 वर्ष |
| 18 | अमानत व अग्रिम पंजी | रजिस्टर | अग्रिमों की जानकारी | ---"--- |
| 19 | प्रतिभूति पंजी | रजिस्टर | प्रतिभूतियों की जानकारी | 12 वर्ष |
| 20 | ऋण पंजी | रजिस्टर | प्राप्त ऋणों की जानकारी | ---"--- |
| 21 | समस्त मांग संग्रहण पंजी व रसीद बुके | रजिस्टर | कर संग्रहण की जानकारी | 6 वर्ष |
| 22 | समस्त फीस पंजीया | रजिस्टर | लायसेंस फीस | ---"--- |
| 23 | कांजी हाउस पंजी व अभिलेख | रजिस्टर व पजी | कांजी हाउस की जानकारी | ---"--- |
| 24 | लेखा परीक्षण टिप्पणी | पंजी | परीक्षण टीप व पत्र व्यवहार | ---"--- |
| 25 | चलान, विवध बिल व रसीद बुके व लेखा विभाग के अन्य प्रकरण | फार्म व बुके | वसूली व जमा की जानकारी | 4 वर्ष |
| 26 | निर्माण कार्यों के बिल/प्रमाण पत्र माप पुस्तिका | फार्म, बिल बुक | निर्माण कार्यों संबंधी जानकारी | ---"--- |
| 27 | मस्टर रोल | प्रपत्र | मजदूरी भुगतान | 4 वर्ष |
| 28 | बजट अनुमान | प्रपत्र | बजट | 4 वर्ष |
| 29 | आवेदन पत्र/पत्राचार | नस्ती | संबंधित प्रकरण की जानकारी | नियमानुसार निर्धारित अवधि |

अध्याय सात

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 में नगर पालिका परिषद के नीति निर्धारण एवं उसके परिपालन/क्रियान्वयन में लोक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में व्यवस्था की निम्न विष्टिया हैं, जिसके अन्तर्गत नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों (पार्षदों) तथा सामान्य नागरिकों का परामर्श प्राप्त होता है।

1. नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियान्वयन पार्षदों के बहुमत से लिये गये निर्णय से किया जाता है।
2. नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत मेयर इन काउंसिल के गठन का प्रावधान है।

(क) प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल का गठन—

1. प्रत्येक परिषद के लिये एक प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल होगी जो धारा 43 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष द्वारा गठित की जायेगी।
2. प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल नगर पालिका परिषद की दशा में अध्यक्ष तथा सात सदस्यों और नगर पंचायत की दशा में अध्यक्ष तथा पाँच सदस्यों से मिल कर बनेगी।
3. प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।
4. प्रत्येक परिषद में ऐसे विभाग होंगे जो कि, किये जाएँ और प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सदस्य ऐसे विभाग के जैसा कि, अध्यक्ष उचित समझे, प्रभारी बनाये जायेंगे।
5. अध्यक्ष, प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थिति रहा हो तो प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सम्मेलन में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे।
6. इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किस बात के होते हुए भी प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल, अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि, विहित किया जाए।

(ख) कृत्य—

1. नगर परिषद की दशा में 25000 से अधिक किन्तु 5 लाख तक के व्यय की स्वीकृति।
2. अधिनियम की धारा 93(1) 94(1),(2), 121(1), 126, 160, 168, 168(7), 228, 235, 237, 238, 249, 253(1)(3), 255(1), 261, 262(1)(3), 263, 265, 267, 272, 273, 274 एवं 281 द्वारा परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग।
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार उपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।
4. अधिनियम की धारा में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करने।

4. सदस्य गण—

| अ.क्र. | नाम | वार्ड क्रमांक |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | श्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी | अध्यक्ष |
| 2 | श्रीमती प्रीति यादव (उपाध्यक्ष) | पार्षद वार्ड क्रमांक 02 |
| 3 | श्रीमति बवीता साहू | वार्ड क्रमांक 05 |
| 4 | श्रीमति सपना मेंहर | वार्ड क्रमांक 06 |
| 5 | श्रीमती रजनी आर्य | वार्ड क्रमांक 09 |
| 6 | श्री कुलदीप रत्नाकर | वार्ड क्रमांक 12 |

5. कर्तव्य एवं दायित्व—उपरोक्त पेरा 3 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यों व कर्तव्यों का सम्पादन।

प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल की बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध की जावेगी व नागरिकों को उसके निरीक्षण का नियमानुसार अधिकार हैं।

- अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत निर्वाचित पार्षदों की सलाहकार समितियों के माध्यम से विभाग से संबंधित प्रकरणों व नीतियों पर सलाह प्राप्त की जाती हैं।
- अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत परिषद आव यकतानुसार अधिनियम के प्रयोजनों से संबंधित किसी भी प्रकरण में जाँच व प्रतिवेदन हेतु पार्षदों की परामर्शदात्री समिति गठित करने का प्रावधान हैं।
- अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत नागरिकों की वार्ड समिति का गठन कर उनका परामर्श नीति निर्धारण व कार्य सम्पादन में सुनिश्चित किये जाने की भी व्यवस्था हैं।
- अधिनियम की धारा 122 क के अन्तर्गत परिषद लेखाओं का सामाजिक अंकेक्षण करवाने की व्यवस्था करने के लिये अधिकृत हैं।
- अधिनियम की धारा 325 के अन्तर्गत शासन के निर्देशों के अनुसार किसी भी विषय में आम नागरिकों की राय प्राप्त करना परिषद के लिये बन्धनकारी हैं।

अध्याय—आठ
अधिनियम के अंतर्गत निम्न समितियों के गठन का प्रावधान है—

1. सलाहकार समिति (धारा71)

| अ.क्र. | नाम समिति | सदस्यों के नाम | योग्यता |
|--------|---|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| एक | आवास,पर्यावरण, लोक निर्माण एवं जलकार्य विभाग | सभापति— श्रीमति सपना बृजेश मेंहर सदस्य— श्री प्रेमनारायण धाकड सदस्य— श्रीमति अजब बाई अहिरवार | |
| दो | खाद्य, नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग | सभापति— श्री कुलदीप रत्नाकर सदस्य— श्री प्रेमनारायण धाकड सदस्य— श्री मनोज कुशवाह | |
| तीन | राजस्व एवं बाजार विभाग | सभापति— श्रीमति रजनी राजेश आर्य सदस्य— श्रीमति सुमित्रा बाई सदस्य— श्रीमति अजब बाई अहिरवार | |
| चार | शिक्षा, महिला तथा बाल कल्याण विभाग | सभापति— श्रीमति प्रीति कलेक्टर सिहँ यादव सदस्य— श्री कमल प्रजापति सदस्य— श्री मनोज कुशवाह | |
| पाँच | पुनर्वास, नियोजन, विधि, तथा सामान्य प्रशासन विभाग | सभापति— श्रीमति बवीता बृजमोहन (साहू) भूरा सदस्य— श्री हेमन्त साहू सदस्य— श्रीमति मनीषा कृष्णगोपाल धाकड | |

1. आवास तथा पर्यावरण और लोक निर्माण समिति, जलकार्य समिति
2. खाद्य, नागरिक आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग
3. राजस्व तथा बाजार समिति
4. शिक्षा महिला एवं बाल कल्याण समिति
5. पुनर्वास, नियोजन, विधि, तथा सामान्य प्रशासन विभाग

कार्य—

1. संबंधित विभाग के कार्यों बाबत सुझाव देना।
2. म.प्र. नगर पालिका(सलाहकार समितियों) के कर्तव्य तथा उनके कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया नियम 1997 में दी गई अनुसूचि में निर्दिष्ट कर्तव्य एवं कर्तव्य नियम की प्रति संलग्न की जावें।
3. कर्तव्यों में समाविष्ट कार्यों के लिये निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति देना व,
4. ऐसे प्रकरण मेयर इन-कौंसिल या परिषद में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना

अध्याय—नौ

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

| क्र. | नाम | पद | मोबाईल नं. | पता |
|------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | श्री राकेश मिश्रा | सी.एम.ओ. | 9425660414 | न.प.शमशाबाद |
| 2 | श्री आर.के तिवारी | उपयंत्री | 8871711706 | न.पा.बासौदा |
| 3 | श्री रामनारायण सेन | सहा.ग्रेड-2 | 8234945486 | न.प.शमशाबाद |
| 4 | श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान | सहा.रा.नि. | 9617997085 | न.प.शमशाबाद |
| 5 | श्री राजेन्द्र सिंह तोमर | सहा.रा.नि. | 8871421287 | न.प.शमशाबाद |
| 6 | श्री अभिषेक जैन | सहा ग्रेड-3 | 8962698237 | न.प.शमशाबाद |
| 7 | श्री पूरनचन्द साहू | प्लम्बर | 07595257070 | न.प.शमशाबाद |
| 8 | श्री नंदगोपाल चौवे | लाईनमेन | 9981057388 | न.प.शमशाबाद |
| 9 | श्री भैयालाल खंगार | भृत्य | 9993982629 | न.प.शमशाबाद |
| 10 | श्री नरेन्द्र साहू | भृत्य | 9584510362 | न.प.शमशाबाद |
| 11 | श्री मुकेश चौरसिया | चोकीदार(लाईनमैन.) | 9993987439 | न.प.शमशाबाद |
| 12 | श्री श्यामलाल | न.प.जनसेवक | 89822971128 | न.प.शमशाबाद |
| 13 | श्री हल्कूराम | जनसेवक | ----- | न.प.शमशाबाद |
| 14 | श्री महेश | जनसेवक | 9617704413 | न.प.शमशाबाद |
| 15 | श्रीमति कामबाई | जनसेवक | 8878260190 | न.प.शमशाबाद |
| 16 | श्री कमलेश प्रजापति | न.पं.कर्मचारी | 9301716744 | न.प.शमशाबाद |
| 17 | श्री अजय राजपूत | न.पं.कर्मचारी | 9826140590 | न.प.शमशाबाद |
| 18 | श्री गोरी शंकर शर्मा | न.पं.कर्मचारी | 8871926725 | न.प.शमशाबाद |
| 19 | श्री नरेन्द्र दुवे | न.पं.कर्मचारी | 8962104959 | न.प.शमशाबाद |
| 20 | श्रीमति अन्जु राजपूत | न.पं.कर्मचारी | 8878059798 | न.प.शमशाबाद |
| 21 | श्री कैलाश खंगार | न.पं.कर्मचारी | 07595257070 | न.प.शमशाबाद |
| 22 | श्री रंजीत कुशवाह | न.पं.कर्मचारी | 9755138321 | न.प.शमशाबाद |

| | | | | |
|----|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 23 | श्री नारायण सेन | न.पं.कर्मचारी | 9981328980 | न.प.शमशाबाद |
| 24 | श्री गोपाल शर्मा | न.पं.कर्मचारी | 9165777717 | न.प.शमशाबाद |
| 25 | श्री बृजेश साहू | न.पं.कर्मचारी | 9754573467 | न.प.शमशाबाद |
| 26 | श्री रिजवान खान | न.पं.कर्मचारी | 7748019031 | न.प.शमशाबाद |
| 27 | श्री राजमोहन विश्वकर्मा | न.पं.कर्मचारी | 8120101629 | न.प.शमशाबाद |
| 28 | श्री तखत सिंह | न.पं.कर्मचारी | | न.प.शमशाबाद |
| 29 | श्री शुभम सेन | न.पं.कर्मचारी | 9039478505 | न.प.शमशाबाद |
| 30 | श्री धर्मेन्द्र गुर्जर | न.पं.कर्मचारी | | न.प.शमशाबाद |
| 31 | श्री सुन्दर सिंह | न.पं.कर्मचारी | | न.प.शमशाबाद |
| 32 | कृ.ज्योति सोनी | न.पं.कर्मचारी | 9179415278 | न.प.शमशाबाद |
| 33 | श्री विनोद शर्मा | न.पं.कर्मचारी | 8982971041 | न.प.शमशाबाद |
| 34 | श्री छोटेलाल भोई | न.पं.कर्मचारी | 9644117110 | न.प.शमशाबाद |
| 35 | श्री नारायण यादव | न.पं.कर्मचारी | 9424447469 | न.प.शमशाबाद |
| 36 | श्री राजेन्द्र कुशवाह | न.पं.कर्मचारी | | न.प.शमशाबाद |

अध्याय—दस
प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

पत्रक मासिक पारिश्रामिक जो प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है, तथा उसके विनियमों में उप-बंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे प्रतिकर की पद्धति।

| अ. क्र. | नाम अधिकारी/कर्मचारी | पद | मासिक उपलब्धि वेतन+महंगाई | विनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति | | | वेतनमान |
|---------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| | | | | गृह भाडा | मेडीकल भत्ता | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | श्री राकेश मिश्रा | मु.न.पा.अधि | 34461 | 200 | 0 | 36661 | 5200-20200+2800 |
| 2 | श्री रामनारायण सेन | स.ग्रेड 02 | 25054 | 343 | 0 | 25397 | 5200-20200+2400 |
| 3 | श्री सुरेन्द्र सिंह | सहा.रा.नि. | 25962 | 182 | 0 | 26144 | 5200-20200+1900 |
| 4 | श्री राजेन्द्र तोमर | स.रा.नि | 15549 | 213 | 0 | 15762 | 5200-20200+1900 |
| 5 | श्री अभिषेक जैन | स्था.ग्रेड-3 | 15549 | 213 | 0 | 15762 | 5200-20200+1900 |
| 6 | श्री पूरनचंद साहू | प्लम्बर | 15418 | 211 | 0 | 15629 | 4440-7440+1300 |
| 7 | श्री नंदगोपाल चौवे | लाईन मैन | 15418 | 211 | 0 | 15629 | 4440-7440+1300 |
| 8 | श्री भैयालाल खंगार | भृत्य | 15418 | 211 | 0 | 15629 | 4440-7440+1300 |
| 9 | श्री नरेन्द्र साहू | भृत्य | 15418 | 211 | 0 | 15629 | 4440-7440+1300 |
| 10 | श्री मुकेश चौरसिया | चौकीदार | 15418 | 211 | 0 | 15629 | 4440-7440+1300 |
| 11 | श्री श्यामलाल | जनसेवक | 15418 | 211 | 0 | 15629 | 4440-7440+1300 |
| 12 | श्री महेश | जनसेवक | 15418 | 211 | 0 | 15629 | 4440-7440+1300 |
| 13 | श्री हल्कूराम | जनसेवक | 15418 | 211 | 0 | 15629 | 4440-7440+1300 |
| 14 | श्रीमति कामवाई | जनसेवक | 15418 | 211 | 0 | 15629 | 4440-7440+1300 |

अध्याय—ग्यारह

प्रत्येक एजेन्सी (विभाग) के लिये आवंटित बजट (आय एवं व्यय पत्रक)

(क)

आय / व्यय

| अ.क्र. | शीर्ष | उपशीर्ष | वर्ष 2014-15 | प्रावधान आय / व्यय | वास्तविक आय / व्यय |
|--------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन | शौचालय निर्माण | | 67 लाख | 67 लाख |

अध्याय—बारह

अनुदान के परियोजना (प्रोग्रामों) के क्रियान्वयन की रीति और आवंटित राशि व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

| अ. क्र. | परियोजना का नाम | हितग्राहियों के चयन का आधार | प्रशासनिक विभाग | वर्ष 2015-16 | प्राप्त आवंटन | व्यय | हितग्राहि यों की संख्या |
|------------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | हाथ टेला चालक | बीपीएल | न.प. शमशाबाद | | | | |
| 2 | पथ पर विक्रय करने वाले कल्याण योजना | बीपीएल | न.प. शमशाबाद | | | | |
| 3 | केश शिल्पी कल्याण योजना | बीपीएल | न.प. शमशाबाद | | | | |

अध्याय-तेरह

प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किए गए प्राधिकारों के प्राप्त कर्त्ताओं की सूची

| अ. क्र. | सहायता का स्वरूप | प्राप्तकर्ता का नाम | पता | वर्ष | प्रमाण | सहायता राशि |
|---------|-------------------------|---------------------|----------|------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | राष्ट्रीय परिवार सहायता | शारदा बाई प्रजापति | वार्ड 04 | 2016 | — | 75000 |
| 2 | राष्ट्रीय परिवार सहायता | लक्ष्मी बाई | वार्ड 01 | 2016 | — | 25000 |
| 3 | राष्ट्रीय परिवार सहायता | कृष्णा बाई राजपूत | वार्ड 14 | 2016 | — | 25000 |

नोट:-

इस शीर्ष में नगर पालिका द्वारा किसी दुर्घटना, आग-बाढ़, आदि से प्रभावित व्यक्ति को दी गई सहायता, संस्था को दिये गये अनुदान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था आदि की जानकारी दी जाना है।

अध्याय—चौदह

नगर पालिका के पास प्राप्त या धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण

| अ.क्र. | वर्ग | हार्ड कापी | इलेक्ट्रानिक फार्म |
|--------|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | — | निर्माण फार्म नामांतरण फार्म जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र राष्ट्रीय परिवार सहायता नवीन नल कनेक्शन पें इन फार्म | शौचालय फार्म सूचना अधिकार आवेदन गरीबी रेखा आवेदन |

अध्याय— पन्द्रह

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्रारम्भ सुविधाएँ

| अ.क्र. | सुविधा | प्रभारी का नाम | सूचना प्राप्ति का समय | टेलिफोन नंबर |
|--------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सूचना काउंटर | श्रीमति अन्जु राजपूत | 10:30 से 05:30 | 8878059798 |

1. सूचना केन्द्र
2. सूचना काउंटर
3. मुनादी प्रसारण
4. अन्य माध्यम—विज्ञापन/पेम्पलेट/नोटिस बोर्ड आदि

अध्याय—सोलह

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य

| अ. क्र. | नाम | पदनाम | टेलीफोन नंबर | ई-मेल पता | कार्यालय पता | मिलने का समय |
|---------|--------------------|---------------|--------------|--|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री राकेश मिश्रा | मु.न.पा. अधि. | 9425660414 | cmoshamshabad@mpurban.gov.in | नगर परिषद शमशाबाद | 10:30 से 05 तक |
| 2 | श्री रामनारायण सेन | सहा. ग्रेड 02 | | cmoshamshabad@mpurban.gov.in | नगर परिषद शमशाबाद | 10:30 से 05 तक |

नोट:—

लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी दोनों की जानकारी दी जावे।

अध्याय—सत्रह

अन्य सूचनाएँ

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से निःशुल्क/शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी। आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा।

अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।
2. नगर पालिका के नीतिगत विनिश्चयों, नगरीय निकाय योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिये नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता है।
3. नगर पालिका परिषद प्रेसीडेन्ट इन काँसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगर पालिका कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित किये जाते हैं, व उनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेंगे।
4. नगर पालिका के करों से संबंधित ऐसैसमेंट व डिमांड रजिस्टर का कम्प्यूटराईज्ड करने का प्रयास किया जायेगा व अन्य ऐसे इलेक्ट्रानिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिकगण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकें।
5. नगर पालिका ने नागरिकों के कार्यों हेतु सीटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है। नागरिकों से अनुरोध है कि, वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सफाई, प्रकाश, करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलेखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें। जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत हो सके।
6. अन्य